

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ: दिनोंक: 31 अगस्त, 2014

विषय: प्रदेश में आवर्षण के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना
उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-302/1-11-2014-26(जी)/2014, दिनोंक 29-08-2014 द्वारा जनपदों में सामान्य से कम हुई वर्षा का उल्लेख करते हुए इसके फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों में फसलों के आच्छादन एवं बोई हुई फसलों की क्षति का विवरण निर्धारित प्रारूप में शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो कि समस्त जिलाधिकारीगण के ई-मेल पर भी उपलब्ध है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में सूखे से हुई क्षति का मेमोरेण्डम भारत सरकार को दिनोंक 01-09-2014 तक अनिवार्य रूप से भेजा जाना है। अतः सूखे से हुई फसलों की क्षति का विवरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के साथ ही जनपद में सूखे की स्थिति के बारे में आख्या आज दिनोंक 31-08-2014 को अपराह्न 05:00 बजे तक राहत आयुक्त कार्यालय के फैक्स नं0-0522-2238084 एवं 2236315 तथा राहत आयुक्त के ई-मेल relief_commissioner@yahoo.com पर अनिवार्य रूप से प्रेषित करने का कष्ट करें।

3- यह उल्लेख करना है कि कृषि क्षति के बिन्दु पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप आपके ई-मेल के साथ ही साथ राहत आयुक्त के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दें।

भवदीय,



(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

जनपदवार वर्षा का विवरण

क्रमांक	प्रभावित जनपद का नाम	आपदा के समय वर्षा			पूर्व के वर्षों में हुयी वर्षा का विवरण								
					गत वर्ष			गत वर्ष से एक वर्ष पूर्व			गत वर्ष से दो वर्ष पूर्व		
		A	N	D	A	N	D	A	N	D	A	N	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

A= Actual, N= Normal and D= Departure Percentage (+/-)

दैवीय आपदा से हुये नुकसान का विवरण

S. No	Item	Details
1	जनपद का नाम	
2	प्रभावित तहसीलों की संख्या	
3	प्रभावित गांवों की संख्या	
4	प्रभावित जन संख्या (लाख में)	
5	कुल प्रभावित क्षेत्रफल (लाख हे० में)	
6	फसलों का प्रभावित क्षेत्रफल (लाख हे० में)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● कुल क्षेत्रफल जिसमें कृषि का नुकसान हुआ हो ● फसलो की क्षति की अनुमानित लागत ● ऐसा क्षेत्रफल जहाँ फसलों का नुकसान 50 प्रतिशत से अधिक हुआ हो 	
7	लघु सीमान्त कृषकों के स्वामित्व वाले क्षेत्रफल का प्रतिशत	
8	मकान क्षति	
	<ul style="list-style-type: none"> ● कुल क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या <ul style="list-style-type: none"> ○ पूर्णतया नष्ट पक्का मकान की संख्या ○ पूर्णतया नष्ट कच्चा मकान की संख्या ○ अधिकांश नष्ट पक्का मकान की संख्या ○ अधिकांश नष्ट कच्चा मकान की संख्या ○ आंशिक नष्ट मकान (पक्का कच्चा) ○ नष्ट हुयी झोपड़ियों की संख्या ● नष्ट हुये मकानों का अनुमानित मूल्य (लाख में) 	
9	जनहानि संख्या	
10	गंभीर चोट से आहत लोगों की संख्या	
11	हल्की चोट से आहत लोगों की संख्या	
12	लुप्त पशुओं की संख्या	
	<ul style="list-style-type: none"> ● बड़े लुप्त पशुओं की संख्या ● छोटे लुप्त पशुओं की संख्या ● लुप्त मुर्गीपालन (चिड़ियों) की संख्या 	
13	सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान	
	<ul style="list-style-type: none"> ● नुकसान का भौतिक विवरण(संलग्न करे) 	

कृषि निवेश अनुदान- लघु सीमान्त कृषकों से अतिरिक्त कृषक

क्रमांक	जनपद का नाम	कुल क्षेत्रफल जहाँ 50%से अधिक कृषि नुकसान हो (हे० में)	कालम 3 में दिये गये क्षेत्रफल में से उस क्षेत्रफल का उल्लेख करें जो लघु सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त कृषकों के स्वामित्व में हो (हे० में)			लघु सीमान्त कृषकों से अतिरिक्त कृषकों की संख्या जो वर्तमान में हुयी आपदा से प्रभावित हुये हैं			लघु सीमान्त कृषकों से अतिरिक्त उन कृषकों की संख्या जो आपदाओं से कई बार प्रभावित हुये हैं			विभिन्न प्रकार की फसलों के लिये माँगी गयी धनराशि					
			असिंचित	सिंचित	वार्षिक	असिंचित	सिंचित	वार्षिक	असिंचित	सिंचित	वार्षिक	पहली बार प्रभावित क्षेत्रफल (हे० में)			कई बार आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रफल (हे० में)		
												असिंचित	सिंचित	वार्षिक	असिंचित	सिंचित	वार्षिक
1	2	3	4A	4B	4C	5A	5B	5C	6A	6B	6C	7A	7B	7C	8A	8B	8C

नोट- लघु सीमांत कृषकों से अतिरिक्त कृषको को अधिकतम 01 हेक्टेयर प्रति कृषक की सीलिंग तक सहायता देय होगी।

तत्कालिक क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु आवश्यक माँगपत्र प्रारूप

(रु० लाख में)

क्षेत्र	क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना	तात्कालिक मरम्मत हेतु धनराशि की आवश्यकता	कालम संख्या 3 में आवंटित धनराशि के अतिरिक्त वार्षिक मरम्मत धनराशि	कालम संख्या 3 में उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष संबंधित स्कीम/परियोजना /अन्य श्रोतों हेतु उपलब्ध धनराशि	कालम संख्या 3 के सापेक्षराज्य आपदा मोचक निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से कितनी धनराशि की आवश्यकता है
1	2	3	4	5	6
सड़क एवं पुल					
पेयजल आपूर्ति	शहरी				
	ग्रामीण				
सिंचाई					
** ऊर्जा					
बेसिक शिक्षा					
पंचायत स्वामित्व वाली सामाजिक क्षेत्र की सामुदायिक संशाधन					

* धनराशि की मांग करते समय 30/45 दिन की समय सीमा को अवश्य ध्यान में रखा जाए।

** बिजली सप्लाई को तत्कालिक रूप से चालू करना ही मात्र शामिल हो।

Status of expenditure from State Disaster Response Fund (SDRF) Account

Year-----
State -----
(Rs. in crore)

S. No	Item	Amount
	(i) Receipts	
1.	Opening balance in SDRF account as on 1.4. _____ (of financial year) : (a) SDRF (b) NDRF (c) Total	
2.	SDRF Releases made during instant financial year (Central and /state /share) : (a) First installment (b) Second installment (c) Total	
3.	NDRF releases during the instant financial year, if any	
4.	Interest received on investments made as per the CRF scheme	
5.	Total funds available in the SDRF account (1+2+3+4)	
	(ii) Expenditure	
6.	Expenditure incurred as per norms on approved natural calamities as per the Scheme of SDRF/NDRF (indicate calamity-wise expenditure)	
7*.	Expenditure incurred on training to specialized Teams of the State Personnel	
8*.	Expenditure incurred on procurement of search and rescue equipment etc. (as per extant approved items)	
9.	Total expenditure incurred (6+7+8)	
10.	Balance available in the SDRF account of the instant financial year :- (a) SDRF (b) NDRF (c) Total	

* As per extant items and norms of assistance from SDRF/NDRF, expenditure on these items (collectively) is permissible up to 10% of the annual allocation.

जनपद का विवरण

क्रमांक	जनपद के नाम	कुल भूमि क्षेत्र(वर्ग कि०मी०)	गावो की संख्या	जनसंख्या (लाख में)	साक्षरता दर (प्रतिशत में)	कृषि क्षेत्र (हेक्टेयर में)	लघु सीमांत कृषक	अन्तर्राज्जीय नदियां	सामान्य वार्षिक वर्षा(मी०मी०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*आंकड़ों के आधार का भी उल्लेख किया जाना चाहिए